छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

//अधिसूचना//

नया रायपुर, दिनांक २०/12/2016

क्रमांक एफ 10–5/2016/16 :– असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :–

(अ) योजना का प्रावधान :–

(i) योजना का नाम **"ई–रिक्शा सहायता योजना"** होगा।

- योजना के क्रियान्वयन हेतु पंजीकृत असंगठित कर्मकार को ई–रिक्शा हेतु स्वयं के द्वारा रू0 10,000/– प्रदाय किया जावेगा।
- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा रूपये 30,000/– अनुदान दिया जावेगा।
- ई–रिक्शा हेतु बकाया शेष राशि बैंक से लोन के माध्यम से रिक्शा/आटो चालक को ऋण दिलवाया जावेगा, जिसका भुगतान हितग्राही द्वारा बैंक द्वारा निर्धारित अवधि एवं ब्याज में देय होगा।
- बैंक द्वारा हितग्राही का लोन स्वीकृत किए जाने संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर हितग्राही के खाते में मंडल द्वारा मंडल का अंशदान हस्तांतरित किया जावेगा।

(ii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना की पात्रता :–

(i) असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक/आटो चालक।

(ii) पंजीकृत कर्मकार की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष (रिक्शा चालक) आयु समूह की हो।

(iii) आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक का पंजीयन प्राप्त होना आवश्यक।

(iv) आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक के संबंध में स्वास्थ्यता प्रमाण–पत्र आवश्यक।

(v) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक।

(vi) योजना का लाभ एक बार प्राप्त होगा।

(vii) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नही मिलेगा।

(स) <u>योजना हेतु आवेदन की प्रकिया</u>

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर।

(ii) आवेदन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है।

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किए जावेगा ।

(iv) योजना का आवेदन करते समय छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अनुदान राशि रूपये 30,000/- हितग्राही को तभी प्राप्त होगा, जब हितग्राही द्वारा स्वयं का अंशदान एवं बकाया राशि के लिए बैंक से ऋण प्राप्ति संबंधी अभिलेख उपलब्ध करायेगा।

(द) <u>स्वीकृति का अधिकार</u> :-

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त/नगर पालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की समिति होगी।

(ii) जिला स्तर समिति द्वारा स्वीकृति कर मंडल को अवगत कराने पर मंडल द्वारा अनुदान राशि प्रदाय की जावेगी।

(ई) विसंगति का निराकरण-

योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

20/12/16

O/C

(याकुब खेस्स)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

35

एफ 10–5/2016/16 नया रायपुर, दिनांक 20/12/2016

लिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. स्टॉफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, नया रायपुर (छ0ग0)
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नया रायपुर (छ0ग0)
5. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/ .... (छ0ग0)
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
9. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशित किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित। कृपया राजपत्र की 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

o/c

20/12/16

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

36

CHHATTISGARH GOVERNMENT
LABOUR DEPARTMENT
MAHANADI BHAWAN, MANTRALAYA, NEW RAIPUR

//NOTIFICATION//

Naya Raipur, Date 20.12.16..

SL. NO. F 10-5/2016/16 :- In exercise of the powers conferred by sub section (4) of section 3 of Unorganized worker social security act, 2008 the state government forms following scheme:-

(A) Provisions of the scheme:-

(i) Name of the scheme will be "E-Rikshaw Sahayta Yojna".

- For the execution of the scheme Rs. 10,000/- will be borne by registered Unorganized labour himself/herself.
- Rs 30,000/- will be given as a grant by C.G. Unorganized worker state social security board.
- Rest of the amount will be provided to the Rikshaw/Auto driver as a loan through bank, whose refund will be payable by the beneficiary in a set period and interest as suggested by the bank.
- Board will transfer its contribution in the account of beneficiary only when bank submits all the loan related documents to the board.

(ii) Scheme provisions will be effective from the date of notification.

(B) Eligibility for scheme:-

(i) Cycle Rikshaw/Auto driver registered under C.G. Unorganized worker state social security board.

(ii) Age of registered workers shall not be less than 18 years or not be above 50 years.

(iii) Registered workers must have registration in R.T.O.

(iv) Registered workers must have commercial vehicle driver license (CDL) medical certificate issued by R.T.O.

(v) Workers must have registration at least before 90 days in C.G. Unorganized worker state social security board.

(vi) Benefit of scheme will be given only for once.

(vii) Benefit of scheme will not be given to any such beneficiary who had already received benefit of any other equivalent scheme by state government.

(C) Process of Application for the scheme:-

(i) Application should be self attested by applicant.

(ii) Registration number in C.G. Unorganized worker state social security board of beneficiary must be mentioned in application.

(iii) Application will be submitted in the office of Assistant labour commissioner/Labour officer of the relevant district.

(iv) Contribution of C.G. Unorganized worker state social security board for the scheme Rs 30,000/- will be provided to the beneficiary only when beneficiary himself/herself deposit his/her contribution and all the documents related with the loan will get submitted to the C.G. Unorganized worker state social security board.

(D) Approval Authority:-

(i) Under the scheme the approval authority will be a district level committee which is constituted with district magistrate, Asst. labour commissioner/ labour

officer & Nagar nigam commissioner/municipal council C.E.O.

(ii) When district level committee will approve & sent the information regarding approval to the C.G. Unorganized worker state social security board then contribution of C.G. Unorganized worker state social security board will be transferred directly in the account of beneficiary.

(E) Disposal of absurdity:-

If any absurdity occurs in the rules/regulations mentioned in the scheme, in that particular situation decision of Secretary, C.G. Unorganized worker state social security board will be final.

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

20/12/16

(Yacub Xess)
Deputy secretary
Govt. of C.G., Labour Department